प्रेस विज्ञप्ति

22.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने अमित कात्याल, मैसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ डीटीसीपी से कोई लाइसेंस लिए बिना प्लॉट खरीददारों के पैसे को अवैध रूप से हड़पने और अवैध तरीके से हेराफेरी करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.10.2024 को मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड अमित कात्याल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इसके अलावा, ईडी ने 18.10.2024 को दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 35 लाख रुपये नकद और अपराध-संकेकी सामग्री बरामद हुई। जांच के दौरान, राजेश कात्याल को 19/10/2024 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 19.10.2024 को सात दिनों के लिए ईडी हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने अमित कात्याल, राजेश कात्याल और उनके सहयोगियों के खिलाफ भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि रियल एस्टेट व्यवसाय में लगे मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने कई निवेशकों को धोखा दिया है और धोखाधड़ी, छल और जालसाजी से जुड़ी एक समन्वित योजना के माध्यम से विदेशों में सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध रूप से स्थानांतरित किए हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि राजेश कात्याल डीटीसीपी लाइसेंस के आधार पर ऐसे संभावित प्लॉट खरीदारों के साथ समझौते करके प्लॉट आवंटन के बहाने संभावित प्लॉट खरीदारों से सैकड़ों करोड़ रुपये की वसूली और हेरफेर करने वाले प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। एक कंपनी के नाम पर बिना किसी लाइसेंस के इस तरह के फर्जी संग्रह को डीटीसीपी ने अपने दिनांक 10.02.2022 के आदेश में अवैध माना था। अमित कात्याल, राजेश कात्याल ने अपनी कंपनियों के माध्यम से और विशेष रूप से महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नियंत्रण और प्रबंधन राजेश कात्याल द्वारा किया जाता था, के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय (पीओसी) को वैध बनाया । ऐसे पीओसी को अमित कात्याल, राजेश कात्याल द्वारा डायवर्ट और विनियोजित किया गया था।

आगे की जांच जारी रखते हुए तलाशी अभियान में 35 लाख रुपये नकद भी बरामद की गई और पकड़ी गई है।
आगे की जांच जारी है।